महिला सशक्तिकरण और आज का भारत

* डॉ. प्रीति भट्ट
(प्रीति बाला शर्मा)

शोध सारांश

सशक्तिकरण से तात्पर्य 'किसी व्यक्ति की उस क्षमता से होता है जिससे उसमें यह योग्यता आ जाती है जिसमें वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसलों को स्वयं ले सके।' हमारे देश में नारियों की क्या स्थिति है, इस बात का अंदाजा इसी से ही लगाया जा सकता है, कि अभी भी भारत में ऐसे कई गांव हैं. जहां की महिलाओं का जीवन घर की चार दीवारों तक ही सीमित है। इतना ही नहीं हमारे देश में काम (नौकरी) करने वाली महिलाओं की संख्या भी अन्य देशों के मुकाबले कम हैं। हमारे देश की ज्यादातर पढ़ी-लिखी महिलाएं भी इस वक्त अपने हक के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। उनको ना चाहते हुए भी ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है, जिसके वो स्वयं विरूद्ध हैं।

हम खुद को मॉर्डन कहते हैं, लेकिन सच यह है कि मॉर्डनाइज़ेशन सिर्फ हमारे पहनावे में आया है लेकिन विचारों से हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है, नई पीढ़ी की महिलाएं तो स्वयं को पुरुषों से बेहतर साबित करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती लेकिन गांव और शहर की इस दूरी को मिटाना जरूरी है।

'महिला सशक्तिकरण' या अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस' जो 8 मार्च को मनाया जाता है उस वक्त इसका जिक्र बड़ी ही प्रमुखता के साथ होने लगता है और कहा जाता है कि देश की तरक्की करनी है तो महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। महिलायें कितनी सक्षम हैं ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है महिलाओं ने खुद ही अपनी हिम्मत और श्रम से हर समाज और हर दौर में इसे साबित भी किया है।

महिला सशक्तिकरण में भी उसी क्षमता की बात होती है जहाँ पर महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने फैसलों की निर्माता खुद होती है। महिला सशक्तिकरण संसार भर में महिलाओं को सशक्त बनाने की एक मुहीम है जिससे महिलाएं खुद अपने फैसले ले सकें और हमारे इस समाज और अपने परिवार के बहुत से निजी दायरों को तोडकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके।

प्रस्तावना

लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। महिला सशक्तिकरण के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इसे हर एक परिवार में बचपन से प्रचारित व प्रसारित करना चाहिये। ये जरुरी है कि महिलाएँ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रुप से मजबूत हो। चूंकि एक बेहतर शिक्षा की शुरुआत बचपन से घर पर हो सकती है, महिलाओं के उत्थान के लिये एक स्वस्थ परिवार की जरुरत है जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिये आवश्यक है। आज भी कई पिछड़े क्षेत्रों में माता-पिता की अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी की वजह से कम उम्र में विवाह और बच्चे पैदा करने का चलन है। महिलाओं को मजबूत बनाने के लिये महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक अलगाव तथा हिंसा आदि को रोकने के लिये सरकार भी कई सारे कदम उठा रही है।

महिला सशक्तिकरण का मुख्य लाभ समाज से जुड़ा हुआ है। अगर हम लोगों को अपने देश को एक शक्तिशाली देश बनाना है, तो उसके लिए हम लोगों को समाज की महिला को भी शक्तिशाली बनाने की जरूरत है।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

भारत एक प्रसिद्ध देश है जिसने 'विविधता में एकता' के मुहावरे को साबित किया है, जहाँ भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते है। महिलाओं को हर धर्म में एक अलग स्थान दिया गया है जो लोगों की आँखों को ढ़के हुए बड़े पर्दे के रुप में और कई वर्षों से आदर्श के रुप में महिलाओं के खिलाफ कई सारे गलत कार्यों (शारीरिक और मानसिक) को जारी रखने में मदद कर रहा है। प्राचीन भारतीय समाज दूसरी भेदभावपूर्ण दस्तूरों के साथ सती प्रथा, नगर वधु व्यवस्था, दहेज प्रथा, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, गर्भ में बच्चियों की हत्या, पर्दा प्रथा, कार्य स्थल पर यौन शोषण, बाल मजदूरी, बाल विवाह तथा देवदासी प्रथा आदि परंपरा थी। इस तरह की कुप्रथा का कारण पितृसत्तामक समाज और पुरुष श्रेष्ठता मनोग्रन्थि है।

पुरुष पारिवारिक सदस्यों द्वारा सामाजिक राजनीतिक अधिकार (काम करने की आजादी, शिक्षा का अधिकार आदि) को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। महिलाओं के खिलाफ कुछ बुरे चलन को खुले विचारों के लोगों और महान भारतीय लोगों द्वारा हटाया गया जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्यों के लिये अपनी आवाज उठायी। राजा राम मोहन रॉय की लगातार कोशिशों की वजह से ही सती प्रथा को खत्म करने के लिये अंग्रेज मजबूर हुए। बाद में दूसरे भारतीय समाज सुधारकों (ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोभा भावे, स्वामी विवेकानंद आदि) ने भी महिला उत्थान के लिये अपनी आवाज उठायी और कड़ा संघर्ष किया। भारत में विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने लगातार प्रयास से विधवा पुर्न विवाह अधिनियम 1856 की शुरुआत करवाई।

आज के भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका

भारत सरकार ने देश की महिलाओं के विकास के लिए कई सारी योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं की मदद से सरकार महिलाओं की मदद कर उनका सशक्तिकरण करना चाहती हैं। वहीं इन योजना के बारे में नीचे जानकारी दी गई है।

नेशनल मिशन फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वूमन

इस मिशन को महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लक्ष्य से भारत सरकार ने शुरू किया था। 15 अगस्त 2011 को शुरू किए गए इस मिशन को राष्ट्रीय और राज्य दोनों लेवल पर शुरू किया गया था। इस मिशन की मदद से महिलाओं को आत्म निर्भर बनाया जा रहा है।

स्वाधार गृह योजना

इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष के ऊपर की आयु वाली लड़कियों को रहने के लिए आवास दिए जाते हैं। ये योजना उन लड़कियों के लिए चलाई गई है, जो कि बेघर हो गई हैं। आवास के अलावा इस योजना के अंतर्गत भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सुविधाएं और उनकी आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाती है।

वन स्टॉप सेंटर योजना

इस योजना की मदद से घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है। इतना

ही नहीं इस हिंसा से ग्रस्त महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहित अन्य सहायता भी दी जाती हैं। ये योजना महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ योजना

लड़कियों के कल्याण और उनकी पढ़ाई के प्रति लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लक्ष्य से बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ योजना को शुरू करा गया था। साल 2015 में इस योजना की चलाया गया था। इस योजना के द्वारा लड़कियों के परिवार वालों को उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रोत्सहित किया जाता है।

कार्य महिला छात्रावास योजना

जो महिलाएं अपने परिवार से दूर रहकर कार्य कर रही हैं, उन महिलाओं के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी कामकाजी महिला को रहने की सुविधा सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है। महिला बिना किसी डर के सरकार द्वारा खोले गए इन छात्रावास में रहकर अपनी नौकरी जारी रख सकती हैं।

महिला हेल्पलाइन योजना

इस योजना को हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए वर्ष 2015 में शुरू किया गया है। इस योजना की मदद से घरेलू हिंसा से प्रभावित कोई भी महिला 24 घंटे टोल-फ्री टेलीकॉम सेवा पर फोन कर मदद मांग सकती है। कोई भी महिला कभी भी 181 नंबर पर फोन कर किसी भी प्रकार की सहायता पुलिस से ले सकती है

राजीव गांधी राष्ट्रीय आंगनवाड़ी योजना

ऑफिसों में काम करने वाली माताओं के लिए इस योजना को चलाया गया है। अक्सर कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर परेशान रहती हैं। इस योजना के जरिए कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को नर्सरी में छोड़ सकती हैं। जहां पर उनके बच्चों की देखभाल की जाएगी। वहीं शाम को अपना काम खत्म करके महिलाएं अपने बच्चों को वापस अपने साथ घर ले जा सकती हैं। देखभाल की सुविधा के अलावा इन नर्सरियों में बच्चों को बेहतर पोषण, प्रतिरक्षण सुविधाओं, सोने के लिए सुविधा और इत्यादि सुविधा प्रदान की जाती हैं।

निष्कर्ष

भले ही आज के समाज में कई भारतीय महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदि बन चुकी हो, लेकिन फिर भी काफी सारी महिलाओं को आज भी सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। उन्हें शिक्षा, और आजादीपूर्वक कार्य करने, सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित कार्य और सामाजिक आजादी में अभी भी और सहयोग की आवश्यकता है।

सरकार को महिलाओं के वास्तविक विकास के लिये पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होगा और वहाँ की महिलाओं को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं और उनके अधिकारों से अवगत कराना होगा जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सके। महिला सशक्तिकरण के सपने को सच करने के लिये लड़कियों के महत्त्व और उनकी शिक्षा को प्रचारित करने की जरुरत है।

***Academician**
University of Rajasthan

संदर्भ–सूची

1. मिल. जे.एस -"स्त्रियों की पराधीनता", (प्रगति सक्सेना द्वारा अनुवादित), राजकमल विश्व क्लासिक दिल्ली ,2003
2. सक्सेना, किरण -"वीमेन एंड पॉलिटिक्स "ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2001
3. प्रज्ञा शर्मा, भारतीय समाज में नारी, पॉइंटर पब्लिशर्स, 2001।
4. डॉ. ममता शर्मा, नारी सशक्तिकरण एवं समाजवाद, ISBN : 9789381907122, प्रकाशन वर्ष 2017
5. पी.डी.शर्मा, महिला सशक्तिकरण और नारीवाद, ISBN: 9788131608913, वर्ष 2017।
6. मिनिस्ट्री ऑफ़ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्मेन्ट ऑफ़ इंडिया।